अपील संख्या 01/2016 श्रीमति कलावती देवी पत्नि श्री शिवकरण जाति कुम्हार निवासी मार्फत महावीर प्रसाद, 7 ई छोटी, बिरथलियावाली नोजगे स्कूल के पास, श्रीगंगानगर बनाम 1–शिवकरण पुत्र श्री चोखाराम जाति कुम्हार निवासी गली न0 2 चक 5 ई छोटी नाईयावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (रिटायर्ड अध्यापक) 2–रामरतन पुत्र शिवकरण जाति कुम्हार निवासी गली न0 3 चक 5 ई छोटी नाईयावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3– हरि पुत्र शिवकरण जाति कुम्हार निवासी गली न0 2 चक 5 ई छोटी नाईयावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 4–मन्जू पत्नि हरि जाति कुम्हार निवासी गली न0 2 चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर 5–राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.06.2017

1– पत्रावली पेश हुई। पक्षकार आज उपस्थित नही है। दिनांक 12–06–17 को अपीलार्थीया कलावती देवी की बहस सुनी जा चुकी है। रेस्पो0 सं0 1–शिवकरण व 3–हरि नारायण द्वारा जबाब अपील पेश किया हुआ है जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– **यह अपील** अपीलार्थीया कलावती देवी द्वारा उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर (अधिकारण) के प्रकरण सं0 47/2015 कलावती देवी बनाम शिवकरण वगैरा में पारित निर्णय 04.12.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा प्रार्थीया/अपीलार्थीया का प्रा0 पत्र दिनांक 24.09.2015 अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध स्वीकार कर उनसे दो–दो हजार रूपये भरण पोषण राशि प्रति माह दिलाने का आदेश दिया गया है व अप्रार्थी सं0 1 व 4 को संतान की परिभाषा में नही आने के कारण अपीलार्थीया को उनसे चाहा गया अनुतोष प्रदान नही किया गया है की अप्रसन्नता से अपीलार्थीया ने माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अधीन यह अपील प्रस्तुत की है।

3– **अपीलार्थीया** कलावती देवी का कथन था कि रेस्पो0 सं0 1 उसका पति है जो रिटायर्ड अध्यापक है जो करीबन 25000रूपये पेन्शन प्राप्त करता है। अपीलार्थीया उसकी पत्नि है जिसका भरण पोषण करने का उसका उत्तरदायित्व था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विरूद्ध भरण पोषण का कोई आदेश पारित नही किया है। इसलिए रेस्पो0 सं0 1 से उसे भरण पोषण दिलाया जावे। उसकी आगे कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो दो हजार रूपये रेस्पो0 सं0 2 व 3 से प्रतिमाह भरण पोषण दिलाये जाने का आदेश दिया गया है जो पर्याप्त नही है क्यों कि वह किराये के मकान में रहती है और चार हजार रूपये मकान किराया है इसके बाद अपीलार्थीया को हर माह गैस सिलेण्डर, कपड़ा, भोजन सामग्री, सब्जी, दवाईंया आदि में करीब 15000 रूपये लग जाता है। इस प्रकार रेस्पो0 से दस दस हजार रूपये भरण पोषण के रूप में प्रति माह दिलाया जावे तथा रेस्पो0 सं0 3 से मकान दिलाया जावे एवं जो कृषि भूमि बेचान की गयी है उसमें से उसका हिस्सा दिलाया जावे। अपीलार्थीया का आगे कथन था कि रेस्पो0 सं0 4 के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावे।

4– **इसके विपरीत** रेस्पो0 सं0 1 शिवकरण का अपने जबाब में कथन है कि अपीलार्थीया ने उसे घर निकालते समय एलपीजी गैस सिलेण्डर, चूल्हा व कॉपी नही दी और न ही चिकित्सा व्यय पुर्नभरण दिया और न ही उसका आधार कार्ड और सर्विस संबंधी रिकार्ड नही ले जाने दिये। जो अपीलार्थीया के किसी काम के नही है जो उसे दिलाये जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5– **इसके विपरीत रेस्पो0** सं0 3 हरिनारायण का लिखित जबाब में कथन है कि अपीलार्थीया अपने पुत्र रेस्पो0 सं0 2 रामरतन के साथ रहती है इसलिए चार हजार रूपये में मकान किराये पर लेना, कथन सही नही है उक्त मकान उसके पिता रेस्पो0 1 शिवकरण द्वारा अपनी पुत्री लक्ष्मी को लेकर दिया है। जिस स्तर से अपीलार्थीया आज तक रहती रही है उस स्तर से रहने में अपीलार्थीया का दो हजार से अधिक खर्चा नही होता है। उसके पति रेस्पो0 सं0 1 शिवकरण द्वारा उसके खाते में दो लाख रूपये जमा करवाए थे जो भी उसके द्वारा बैंक से निकाल लिये गये है और उसने 18.11.2015 को अपने खातो से राशि अन्तरित की है। उसका आगे जबाब में कथन है कि अपीलार्थीया ने झूठे मुकदमें रेस्पो0 1, 3 व 4 के विरूद्ध करती रहती है। रेस्पो0 सं0 4 उसकी पुत्रवघु है और रेस्पो सं0 1 उसका पति है जिनके विरूद्ध इस अधिनियम के तहत कोई राहत प्राप्त नही कर सकती है फिर भी रेस्पो0 सं0 1 व 4 के विरूद्ध कार्यवाही कर रही है। इसके लिए अपीलार्थीया को पाबन्द किया जावे कि वह बार बार रेस्पो0 सं0 1, 3 व 4 के विरूद्ध झूठे मुकदमें करती रहती है उनके विरूद्ध जान माल के खतरे की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी जो झूठी पाई गई है। इसलिए अपीलार्थीया को पाबन्द किया जावे कि वह उनके विरूद्ध झूठे मुकदमें दर्ज न करवावे। इसलिए अपीलार्थीया की अपील खारिज की जावे और जो रेस्पो0 सं0 3 पर दो हजार रूपये भरण पोषण बांधा गया है उसे निरस्त किया जावे।

6– **मैने उभय पक्षो** के उक्त तर्को एवं लिखित जबाब पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील अपीलार्थीया कलावती देवी ने उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 47/2015 कलावती देवी बनाम शिवकरण में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2015 के विरूद्ध पेश की है। अपीलार्थीया ने उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रा0 पत्र दिनांक 24.09.15 को माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5(1) के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया कि उसे अप्रार्थी सं0 1 से पेन्शन की आधी राशि दिलाई जावे व अप्रार्थी सं0 2 व 3 से दस दस हजार रूपये भरण पोषण के दिलाये जावे तथा पैतृक मकान खाली करवाया जावे।

7– **अधिनस्थ** न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 04.12.2015 को निम्न आदेश पारित किया है:–

> हमने प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रा0 पत्र का अध्ययन किया तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक को भरण पोषण अधिनियम 2007 का अवलोकन किया। इस अधिनियम के 2(क) सन्तान के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नही है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण का दायित्व सन्तान पर अधिरोपित किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 प्राथीया का पति एवं 4 प्रार्थीया की पुत्रवधु है जो सन्तान की परिभाषा में नही आती है। इनसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भरण पोषण के अन्तर्गत प्रार्थीया मांग नही कर सकती है। पैतृक मकान अप्रार्थीगण सं0 3 से खाली करवाने एवं अप्रार्थी सं0 1 की पेन्शन की राशि आधी प्राप्त करने के लिए भी सिविल न्यायालय में प्रार्थीया अपनी अलग से कार्यवाही करें। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व खाते से से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया के पास पर्याप्त राशि रही है। वर्तमान में प्रार्थीया के खाते में सिर्फ 384.00रूपये

अति० कलैक्टर

की खाते में दिनांक 30.11.2015 को है। अप्रार्थी सं0 2–3 प्रार्थीया की कोई सेवा नही करते है। अतः उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु अप्रार्थी सं0 2 व 3 आदेश की तिथि से 2000/– 2000/–रूपये कुल 4000/–(अखरे रूपया चार हजार मात्र) हर माह अदा करेंगें। यह राशि प्रार्थीया के उक्त खाते में प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 जमा करवायें। प्रार्थीया को अप्रार्थी सं0 2–3 किसी प्रकार से तंग व परेशान नही करेंगं। अगर अप्रार्थीगण किसी प्रकार से प्रार्थीया को तंग परेशान–मारपीट करता है तो संबंधित थानाधिकारी नियमानुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस्तगासा दायर करने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

8– **अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 04.12.2015 विधि सम्मत है अथवा नही?** इस संबंध में माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के निम्न प्रावधानो पर विचार करना आवश्यक हैः–

9– **इस मामले** में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थीया उक्त अधिनियम 2007 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है अथवा नही? यदि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है तो क्या वह रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सक्षम है और वांछित राहत रेस्पोडेन्टस से पाने की हकदार है अथवा नही? इस संबंध में अधिनियम में दी गई वरिष्ठ नागरिक/माता–पिता व संतान की परिभाषा पर सर्वप्रथम विचार करना आवश्यक होगाः–

धारा 2(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर लिया है अभिप्रेत है।

धारा 2(छ) "सम्बन्धी" से अभिप्रेत है सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक उतराधिकारी, जो अवयस्क नही है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पति का कब्जाधारी में या को उतराधिकार में प्राप्त करेगा।

धारा 2(घ) "माता–पिता" से ऐसे माता या पिता अभिप्रेत है, जो जैविक, दत्कग्राही या सौतेला पिता या सौतेली माता, यथास्थिति, हो, चाहे पिता या माता वरिष्ठ नागरिक है या नही।

धारा 2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नही है

10– **चूंकि हस्तगत** प्रकरण में अपीलार्थीया कलावती देवी ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपने पति शिवकरण पुत्र चोखाराम, रामरतन पुत्र शिवकरण, हरि पुत्र शिवकरण, मन्जू पत्नि हरि के विरूद्ध दिनांक 24.09.2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें में उसने अपने पति अप्रार्थी सं0 1–शिवकरण से पेन्शन की आधी राशि दिलाने व अप्रार्थी सं0 2 व 3 से दस दस हजार रूपये भरण पोषण राशि दिलाने व अप्रार्थी सं0 3 से पैतृक मकान खाली करवाया जाकर उसे दिलवाया जावे एवं जो कृषि भूमि बेचान की गयी है उसमें से उसका हिस्सा दिलाया जावे एवं अप्रार्थीगण/रेस्पो0 उसे तंग व परेशान न करें। उक्त अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस सं0 1–शिवकरण अपीलार्थीया/प्रार्थीया का पति है और रेस्पो0/अप्रार्थी सं0 4 मन्जु पत्नि हरि है जो कि अपीलार्थीया की पुत्रवधु है **जो अधिनियम की धारा 2(क) में दी गई संतान की परिभाषा में नही आते है। इसलिए अपीलार्थीया इनसे किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने की हकदार नही है।**

रेस्पो0/अप्रार्थी सं0 2 व 3 जो कि अपीलार्थीया के पुत्रगण है। इस प्रकार अपीलार्थीया व रेस्पो0 2 व 3 के मध्य माता व पुत्र का संबंध है। इसलिए अपीलार्थीया बतौर वरिष्ठ नागरिक (माता की हैसियत से) इनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। किन्तु यह अलग बात है कि उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 से भरण पोषण पाने की हकदार है अथवा नही?

11— **अधीनस्थ न्यायालय** द्वारा दो दो हजार रूपये रेस्पो0 सं0 2 व 3 से प्रतिमाह दिलाये जाने का आदेश पारित किया है जबकि अपीलार्थीया ने इस कम बताकर भरण पोषण राशि बढ़ाने की मांग की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया के आय के साधन पर विचार करते हुए अप्रार्थी सं0 2 व 3 से दो दो हजार रूपये प्रतिमाह आदेश पारित करने की तिथि से भरण पोषण दिलाये जाने के आदेश दिये है। अपीलार्थीया एक वृद्ध औरत है और वर्तमान में बढती हुई महंगाई को देखते हुए उक्त राशि से भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और ईलाज हेतू पूर्ण व्यवस्था होना असम्भव है। इसलिए उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 से दो दो हजार रूपये भरण पोषण राशि प्रति माह दिलाने के जो आदेश दिया गया है **उसमें संशोधन किया जाकर दोनो अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 को चार चार हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि इस आदेश से दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है।**

12— **जहां तक** अपीलार्थीया की यह प्रार्थना कि रेस्पो0 सं0 3 से पैतृक मकान खाली करवा कर उसे दिलवाया जावे एवं कृषि भूमि जो बेचान की गयी है उसका हिस्सा दिलाया जावे, का प्रश्न है। इस संबंध में पत्रावली ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे साबित हो कि उक्त मकान व कृषि भूमि अपीलार्थीया द्वारा रेस्पो0 सं0 3 को भरण पोषण की पूर्ति की शर्तो के अधीन अन्तरण की हो। इसलिए अपीलार्थीया की यह प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। अप्रार्थी सं0 3 से पैतृक मकान खाली करवाकर कब्जा दिलवाने व बेचान की गयी कृषि भूमि का हिस्सा दिलवाने व रेस्पो0 1 शिवकरण पति से पेन्शन की आधी राशि दिलाने बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

1438-42
12/07/17

13— **अतः** उक्तानुसार अपीलार्थीया की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि रेस्पो0 सं0 2 व 3 से इस आदेश के पारित होने की तिथि से अपीलार्थीया को दो दो हजार रूपये के स्थान पर चार चार हजार रूपयु कुल आठ हजार रूपये दिलाये जावे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्टस को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

14— **यह** आदेश आज दिनांक 19.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर